संविधान का अर्थ तथा उसकी आवश्यकता
(Meaning and necessity of the constitution)

सरल शब्दों में राज्य के संविधान की परिभाषा लिखित तथा अलिखित नियमों एवं विनियमों के निकाय के रूप में की जा सकती है। जिनके द्वारा सरकार का गठन होता है।
और वह कार्य करती है। यह अलग बात है कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संविधान मौलिक अधिकारों व कर्तव्यों के घोषणापत्र के रूप में व्यक्तियों तथा उनके राज्य के बीच सम्बन्ध को स्पष्ट करने हेतु कुछ और सिद्धान्तों को अंगीकार करें। अतः संविधान को उन नियमों का संग्रह कहा जा सकता है, जिसके अनुसार शासन की शक्तियों, शासितों के अधिकार तथा दोनों के बीच सम्बन्ध को स्पष्ट करने हेतु ~~कुछ और~~
संविधान के नियम विस्तृत या संक्षिप्त रूप में लिखित हो सकते हैं। अथवा उनमें से अधिकांश सिद्ध कथनों प्रथाओं दृष्टांतों तथा व्यवहारों के रूप में हो सकते हैं।

संविधान की प्रमुख विशेषताएँ
Salient Features of the constitution

हर संविधान की अपनी विशेषताएं होती हैं, जिन्हें देखकर उसकी सम्पूर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है। यही बात भारत के संविधान के बारे में कही जा सकती है। जो हम भारत के लोगों ने भारत के लोगों के लिए बनाया है,

- उपयोजनशीलताएँ · (Derivations) संविधान -निर्माताओं अपने देश की आवश्यकताओं लोगों की आकांक्षाओं तथा समकालीन परिस्थितियों से अवगत थे।
अतः उन्होंने अन्य देशों के संविधानों की उन व्यवस्थाओं व संस्थाओं को लिया जो अपने देश के लिए उपयुक्त व उपयोगी हो सकती थी।

v

संविधान का विकास
(Growth of the constitution)

हर संविधान एक सजीव दस्तावेज होता है, क्योंकि वह समय बीतने के साथ उसका विकास होता रहता है।
नयी परिस्थितियों या समय की आवश्यकताओं को देखते हुए उनके प्रावधानों में संशोधन होते रहते हैं। ज्यों-ज्यों वह इतना बदल जाता है कि यदि संविधान निर्माताओं को किसी जादुई या चमत्कारी तरीके से जीवित किया जाय, तो कदाचित वे अपनी रचना को पहचान नहीं सकेंगे।

1. संवैधानिक संशोधन → (constitution amendments) → सबसे पहले हम संवैधानिक संशोधन को लेते हैं जिन्होंने इसके मूल पाठ को काफी हद तक बदला है। 1951 में पहला संशोधन हुआ।

2. महत्वपूर्ण प्रशासनिक आदेश (important executive decrees) → समय-समय पर कार्यपालिका की ओर से आदेश जारी होते हैं जो संवैधानिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए 1950 में राष्ट्रपति ने एक आदेश जारी किया।

3. प्रमुख संसदीय कानून (Major Parliamentary Laws) → संविधान के अनुच्छेदों की परिपूर्ति करने हेतु समय-समय पर संसद कानून बनाती है उदाहरण के लिए 1952 के राष्ट्रपति व उप-राष्ट्रपति चुनाव कानून के अनुसार राष्ट्रपति व उप राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। 1969 में राष्ट्रपति व उप राष्ट्रपति चुनाव कानून के अनुसार राष्ट्रपति व उप-राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है।